Toppersnotes
Unleash the topper in you

# 1ST – ग्रेड

## स्कूल व्याख्याता

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

प्रथम – प्रश्न पत्र

भाग – 2

# भारत का इतिहास, राजव्यवस्था एवं राजस्थान का भूगोल

SIERRA INNOVATIONS

# RPSC 1ST GRADE – 2022

## भारत का इतिहास, राजव्यवस्था एवं राजस्थान का भूगोल

### भारत का इतिहास


| | | |
|---|---|---|
| 1. | गुप्तकाल में कला, विज्ञान, साहित्य का विकास | 1 |
| 2. | मुगलकाल में साहित्य, स्थापत्य कला का विकास | 9 |
| 3. | 1857 का स्वतंत्रता आन्दोलन | 19 |
| 4. | भारत के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता | 22 |
| 5. | महात्मा गाँधी और राष्ट्रीय आंदोलन | 37 |
| 6. | वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, मौलाना आजाद, बी.आर. अम्बेडकर | 51 |
| 7. | सामाजिक–धार्मिक पुनर्जागरण | 58 |


### भारत का संविधान


| | | |
|---|---|---|
| 1. | संविधान सभा का उद्भव एवं संविधान निर्माण | 65 |
| 2. | भारतीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं उसकी शक्तियाँ और मंत्रिपरिषद् | 88 |
| 3. | प्रधानमंत्री और उसकी शक्तियाँ | 102 |
| 4. | संसद | 105 |
| 5. | लोकसभा अध्यक्ष एवं उसके कार्य | 115 |
| 6. | उच्चतम न्यायालय : संगठन एवं शक्तियाँ | 117 |
| 7. | भारत में चुनाव | 121 |
| 8. | राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न आयोग एवं प्रमुख बोर्ड | 124 |

# राजस्थान का भूगोल


| | | |
|---|---|---|
| 1. | राजस्थान की अवस्थिति, आकृति, आकार एवं विस्तार | 133 |
| 2. | राजस्थान का भौतिक विस्तार | 151 |
| 3. | राजस्थान का अपवाह तंत्र – नदियाँ | 186 |
| 4. | राजस्थान में झीलें | 209 |
| 5. | राजस्थान की जलवायु | 221 |
| 6. | राजस्थान की खनिज संपदा | 232 |
| 7. | राजस्थान में ऊर्जा संसाधन | 247 |
| 8. | राजस्थान में कृषि | 258 |
| 9. | राजस्थान में पशुधन | 276 |
| 10. | राजस्थान में पशुसम्पदा | 287 |
| 11. | राजस्थान की जनसंख्या | 290 |
| 12. | राजस्थान में पर्यटन उद्योग | 295 |
| 13. | राजस्थान में परिवहन | 302 |
| 14. | राजस्थान में औद्योगिक परिदृश्य | 318 |

# भारत का इतिहास

# 1. गुप्तकाल में कला, विज्ञान, साहित्य का विकास

- तीसरी शताब्दी के अन्त में प्रयोग के निकट कौशाम्बी में गुप्त वंश का उदय हुआ।
- गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है। (275 ई.)
- गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है, क्योंकि इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्नति हुई ।
- बर्नेट इतिहासकार ने इसकी तुलना पेरीक्लीज युग से की है।
- इस युग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति के रूप में पूजा शुरू हुई।
- गुप्तकाल में सबसे ज्यादा विष्णु की पूजा होती थी (इष्टदेव)। भारत में मंदिरो का उदय या जन्म गुप्तकाल में ही हुआ।
- गुप्तकाल में ही रामायण और महाभारत का अन्तिम रूप से सम्पादन हुआ।
- गंगा, जमुना की मूर्ति गुप्तकाल की देन है।
- गुप्तकाल में सांमतवाद का उदय हुआ।
- अजन्ता की गुफा (औरंगाबाद म.प्र.) सं. 16,17,19 गुप्त काल की ही देन है तथा बाघ की गुफाएँ भी गुप्तकाल में बनी। अजन्ता की गुफाएँ बौद्ध धर्म से सम्बन्धित है।
- गुप्त शासकों की भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी थी।
- गुप्त सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक गरूड़ था।
- गुप्त काल के प्रसिद्ध दो बन्दरगाह थे।
  1. भड़ोच  2. ताम्रलिपि
- गुप्तकाल की शिल्पकला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली के प्रतीमानों पर आधारित है।
- गुप्तकाल का महरौली का लौह स्तम्भ (दिल्ली) उस समय की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
- गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे । गुप्तकाल में दास प्रथा विद्यमान थी लेकिन दहेज प्रथा, पर्दाप्रथा, बालविवाह विद्यमान नहीं थी।
- गुप्त साम्राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत भूमिकर था जो कि उपज का 1/6 भाग था ।
- गुप्त काल में राजस्थान में तीन गणराज्य थे।
  (1) अर्जुनायन  (2) मालव  (3) यौधेय

गुप्त साम्राज्य से निम्न प्रमुख शासक हुए –

**(1) श्री गुप्त** 275 – 300 ई. (संस्थापक)

**(2) घटोत्कच** 300 – 310 ई. (महाराज की उपाधि)

**(3) चन्द्रगुप्त प्रथम** 319 / 320 – 328/335 ई.

- ➢ वास्तविक संस्थापक
- ➢ महाधिराज की उपाधि धारण करने वाला
- ➢ राजा – रानी के सिक्के चलाने वाला
- ➢ गुप्त संवत् की स्थापना – 319 ई.
- ➢ लिच्छवी राजकुमारी से विवाह ओर कुमार देवी से विवाह
- ➢ गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चन्द्रगुप्त प्रथम मिलता है।

**(4) समुद्रगुप्त 328 ई.–335 ई.**

- ➢ विंसेट स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है।
- ➢ मूलनाम – कच
- ➢ इसके समय प्रयाग प्रशस्ति हरिषेण द्वारा लिखी गई। इसमें इनको लिच्छवि दौहित्र बतायागया।
- ➢ सबसे प्रतापी शासक था।
- ➢ 100 युद्धों का विजेता + धर्म की प्राचीर + कवि राजा की उपाधि

## विजय नीति

- **उत्तरी भारत में नीति** "प्रसभोद्धरण–(प्रत्यक्ष नियंत्रण)"
- उत्तरी भारत के 12 राज्यों के प्रति अपनाई गयी नीति।
- प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 21 में उल्लेखित है।
- पश्चिमी या विदेशी राज्यों के प्रति नीति–
  - ➢ आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरूत्वमंदक
  - ➢ प्रयाग प्रशस्ति की पंक्ति संख्या 23 व 24 में उल्लेख है।

## दक्षिण के 12 राज्यों के प्रति नीति

- ग्रहणमोक्षानुग्रह
- हेमचन्द्र राय चौधरी – दक्षिण की विजय को धर्म विजय कहा।

## सीमावर्ती राज्यों के प्रति नीति –

- उत्तरी पूर्वी पर स्थित राज्यों के प्रति –
- सर्वकर, दानाज्ञाकरण, प्राणागमन
- प्रयाग प्रशस्ति की संख्या 22 में उल्लेखित।
  1. समतर (पूर्वी बंगाल)
  2. कामरुप (असम)
  3. डबाक (असम के पास)
  4. कर्तपुर (जालंधर)
  5. कमायुँ गढ़वाल (म.प्र.)
- समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने समुन्द्र गुप्त से उरुवेला (बोधगया) में मंदिर बनवाने की अनुमति माँगी थी।
- समुद्रगुप्त के दरबार में वसुबंधु नामक बौद्ध भिक्षु का निवास था जिससे पता चलता है कि गुप्त वंश के शासक धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे।
- समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है।
- समुद्रगुप्त के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया गया।

## समुद्रगुप्त के प्रचलित सिक्के

1. **गरूढ़ प्रकार**
   मुख्य भाग पर – राजा की आकृति, गरूढ़ ध्वज
   पृष्ठ भाग पर – उपाधि पराक्रम
2. **धनुर्धारी**
   मुख्य भाग पर – राजा की आकृति, धनुष बाण
   पृष्ठ भाग पर – अप्रतिरथ
3. **परशु प्रकार**
4. **अश्वमेघ**
5. **वीणा प्रकार**
6. **व्याघ्र हनन**
   - एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की तुलना यम व कुबेर से की गयी है।
   - समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से भी जाना जाता है।

- प्रयाग प्रशस्ति में सीमावर्ती राज्यों की विजय को धरणीबंध अर्थात् विश्व विजय कहा गया।
- सिंहलद्वीप शासक मेघवर्ण ने बौद्ध बिहार बनाने की अनुमति माँगी थी।

**(5) रामगुप्त 375 ई.**

**(6) चन्द्रगुप्त द्वितीय 375 ई.–** 414/415 ई. (अन्य नाम – देवगुप्त, देवश्री, देवराज)

- विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
- प्रथम चीनी यात्री फाह्यान आया।
- इसे सक्कारी भी कहा जाता है।
- इसके दरबार में 9 रत्न थे–
- कालिदास, धन्वन्तरी, अमरसिंह, बेताल भट्ट शंकु, क्षपणक, वराहमिहिर, बररूची, घटकपरि

### फाह्यान का विवरण

- चीनी यात्री
- अर्थ – धर्माचार्य
- पुस्तक – फू–को–की
- फाह्यान स्थल मार्ग से सर्वप्रथम गोमती विहार ⟶ मध्य देश ⟶ जैतवन विहार ⟶ पाटलिपुत्र ⟶ ताम्रलिप्ति बन्दरगाह ⟶ दक्षिणी–पूर्वी द्वीप ⟶ जल मार्ग से फाह्यान स्थल मार्ग से आया व जल मार्ग से वापिस गया।
- फाह्यान ने मध्य देश (ब्राह्मण देश) को चन्द्रगुप्त–II का क्षेत्र बताया।
- फाह्यान के अनुसार भारत में मृत्युदण्ड की सजा नहीं दी जाती हैं।
- भारतीय लोग मांस–मदिरा, लहसून, प्याज का सेवन नहीं करते थे।
- राजद्रोह के आरोप में अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था।
- व्यापार में भारतीय लोग कोडियों का प्रयोग करते है।
- फाह्यान चाण्डाल नामक जाति का उल्लेख करता है।
- गढ़वा अभिलेख में चन्द्रगुप्त II को परमभागत की उपाधि दी गई है।
- दिल्ली से प्राप्त महरौली के लौह स्तम्भ का संबंध चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य से स्थापित किया जाता है।
- चन्द्रगुप्त II ने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को भी अपनी राजधानी बनाया था।
- चन्द्रगुप्त II ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने सम्राज्य का विस्तार किया।
  1. नागवंश (मथुरा व अहिछत्रपुर)
- राजकुमारी–कुबेरनागा से विवाह किया तथा कुबेरनागा की पुत्री प्रभावती गुप्त थी।
- प्रभावती का विवाह चन्द्रगुप्त II ने वाकाटक शासक रूद्रसेन II के साथ किया।
- प्रभावती रूद्रसेन II की मृत्यु के बाद शासन चलाने वाली भारत की प्रथम महिला शासिका थी।
- चन्द्रगुप्त वाकाटकों के सहयोग से शको को पराजित किया व इसके उपलक्ष्य में चाँदी के व्याघ्र प्रकार के सिक्कों का प्रचलन करवाया।
- चन्द्रगुप्त II द्वारा चलाये गये सिक्के –
  1. धनुर्धारी
  2. छत्रधारी
  3. पर्यङ्क सिक्के
  4. सिंह निहन्ता
  5. अवश्वरोही प्रकार के

### (7) कुमारगुप्त (414–455 ई.)

- श्री महेन्द्र, महेन्द्रादित्य की उपाधि
- तुमैन अभिलेख में – शरदकालीन सूर्य के समान बताया गया।
- हेनसांग के अनुसार – शकरादित्य।
- गदवा अभिलेख में परम भागवत्।
- नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की।
- नालन्दा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध के नाम से भी जाना जाता है।
- इस विश्वविद्यालय में धर्मगंज नामक एक पुस्तकालय था जो तीन भागों में बँटा हुआ था रत्नोदधि, रत्नरजंक, रत्नसागर
- विलसढ़ अभिलेख में गुप्त शासकों की वशांवली प्राप्त होती है।
- सर्वाधिक अभिलेख, सर्वाधिक सिक्कों का प्रचलन किया।

### (8) स्कन्द गुप्त (455–467 ई.)

- हुणों (मलेच्छों) पर विजय प्राप्त की
- सुदर्शन झील की मरम्मत करवायी
- चीन में 466 ई. में राजदूत को भेजा
- अन्तिम शासक – भानुगुप्त/विष्णुगुप्त
- गुप्त काल में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई।

## गुप्त काल में निम्न प्रमुख वैज्ञानिक/विद्वान हुए–

**(1) आर्यभट्ट –** ये एक प्रमुख वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इनका जन्म 476 ई. में कुसुमपुर पटना में हुआ। आर्यभट्ट ने ही शून्य सिद्धान्त और दशमलव प्रणाली का विकास किया। इनकी दो पुस्तके प्रसिद्ध हैं– आर्यभट्टीयम् और सूर्य सिद्धान्त।

चन्द्रग्रहण व सूर्यग्रहण का वर्णन किया। पाई का मान बताया।

**(2) वराहमिहिर**– यह एक खगोलशास्त्री थे। इनका जन्म अवन्ती में हुआ। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक पंच सिद्धान्तिका लिखी इसके अलावा वृहतसंहिता व लघु जातक भी इन्होंने लिखी।

**(3) धन्वन्तरी –** इन्हें चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक व नवनीतिकम् है।

**(4) ब्रह्मगुप्त –** यह एक गणितज्ञ और खगोलशास्त्री थे। इन्होनें ब्रह्मस्फूट नामक ग्रंथ लिखा नियमदिया कि "प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती है"।

**(5) सुश्रुत –** यह एक वैद्य थे। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रन्थ सुश्रुत संहिता लिखी थी। यह शल्य चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं।

**(6) पॉलकाव्य** ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रन्थ की रचना की जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है।

**(7) होलीहोत्र/शालिहोत्र ऋषि**– इन्होंने घोड़े के उपचार के लिये अश्वशास्त्र नामक ग्रन्थ की रचना की। इन्होने अणु सिद्धान्त का प्रतिपादन और प्रचार प्रचार किया।

## कला और साहित्य

- गुप्तकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में भी उन्नति हुई जिसके कारण इस युग को स्वर्णयुग कहा जाता है।

- इस युग में साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ। कई महत्वपूर्ण कवि, साहित्यकार, विद्वान और कथाकार हुए है। जैसे – कवि कालिदास, विशाखदत्त, दण्डिन, अमरसिंह, भाष, वत्सभट्टी आदि। इन्होंने कई महत्वपूर्ण रचनाओं का निर्माण भी किया।
- गुप्तकाल में पहली बार किसी सती होने के प्रमाण 510 ई. के भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। राजा गोपराज की पत्नी सती होती है।
- अजन्ता की खोज सर जेम्स अलेक्जेंडर ने की थी।
- 16 वीं गुफा में बुद्ध के गृहत्याग का चित्रण।
- 17 वीं गुफा में बुद्ध अपनी पत्नी से भिक्षा मांगने के चित्र।
- 17 वीं गुफा के चित्रों को चित्रशाला कहा गया है।
- ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण के सिद्धान्त को न्यूटन से पहले खोजा था।
- नागार्जुन रसायन व धातु विज्ञान का विद्वान था।

## गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों के मत निम्न हैं –

| विद्वान | मत |
|---|---|
| के. पी. जयसवाल | शूद्र |
| एलन अलतेकर, रोमिलाथापर | वैश्य |
| गौरीशंकर ओझा, रमेशचंद्र मजुमदार, चट्टोपाध्याय | क्षत्रिय |
| हेमचन्द्र राय चौधरी | ब्राह्मण |

## कला और साहित्य (गुप्तकाल में सांस्कृतिक योगदान)

- कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का ''क्लासिकी युग अथवा स्वर्णयुग'' कहा गया है।
- गुप्तकाल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था।

### गुप्तकाल के प्रमुख मंदिर–

भूमरा (नागोद)– मध्यप्रदेश – शिव मंदिर (सबसे पहला और प्राचीन)
तिगवा (जबलपुर) – मध्यप्रदेश – विष्णु मंदिर
देवगढ़ (झाँसी) – उत्तरप्रदेश – दशावतार मंदिर
सिरपुर (मध्यप्रदेश) – लक्ष्मण मंदिर (ईंटो का मंदिर)
भीतरगाँव (कानपुर) – ईंटो का बना मंदिर (मेहराब का प्रयोग)

- सर्वाधिक मंदिर और सर्वाधिक पूजा विष्णु देवता की होती थी, ये गुप्त शासकों के ईष्ट देवता थे।
- सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक गरूड़ था।
- गुप्तकाल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश (शिव) की त्रिमूर्ति के रूप में पूजा प्रारम्भ हुई।

सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार से सम्बन्धित विवरण –

| गुप्त मौर्य (निर्माण) | अधिकारी |
|---|---|
| चन्द्रगुप्त मौर्य | पुष्यगुप्त – मौर्यवंश |
| अशोक (जीर्णोद्धार) | तुषास्क – मौर्यवंश |
| रूद्रदामन (जीर्णोद्धार) | सुविशाख – सातवाहन वंश |
| स्कन्दगुप्त (जीर्णोद्धार) | चक्रपालित – गुप्त वंश |

# भारत का संविधान

# 6. उच्चतम न्यायालय : संगठन एवं शक्तियाँ

## न्यायपालिका (सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय)

- सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र न्यायालय है।
- सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय है।
- राज्यों के अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरूद्व उच्च न्यायालयों में अपील की जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय अन्तिम होते है तथा इन निर्णयों के विरूद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है।
- उच्चतम न्यायालय की मुख्यपीठ नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से नई दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है।
- वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और तीस अन्य न्यायाधीश (कुल इक्तीस न्यायाधीश) है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ निश्चित की गई है–
  1. वह भारत का नागरिक हो
  2. वह कम से कम पाँच वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायधीश रह चुका हो
  3. उसने कम से कम लगातार दस वर्ष तक किसी एक या दो या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो तथा
  4. राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो।
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायसधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति के संबंध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा।
- संविधान के अनुच्छेद 127 (1) के अनुसार, यदि किसी कारणवश न्यायालय की बैठक करने के लिए निश्चित गणपूर्ति या कोरम (गणपूर्ति तीन निश्चित की गयी है) पूरी नहीं होती तो राष्ट्रपति की अग्रिम स्वीकृति द्वारा मुख्य न्यायाधीश तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है।
- उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस व्यक्ति को, जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो, तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते है। 65 वर्ष की आयु से पहले कोई भी न्यायाधीश अपनी इच्छानुसार त्यागपत्र दे सकता है।
- संविधान के अनुच्छेद 124 (6) के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते है।
- उच्चतम तथा उच्च न्यायालय (सेवा शर्ते) संशोधन अधिनियम 1998 के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को रू. 90,000 मासिक वेतन के रूप में मिलते है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क निवास तथा अन्य भत्ते मिलते है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भारत की संचित निधि में से दिये जाने चाहिए।
- उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित मामलो में क्षेत्राधिकार प्राप्त है –

1. **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार** – उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ऐसे मामले आते है, जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता है।
   (a) भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों में।
   (b) भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के विवादों में।
   (c) दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में, जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो।
   प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत उच्चतम न्यायालय, उसी विवादों को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा, जिसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समवर्ती प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार पृच्छा तथा उत्प्रेक्षण रिट जारी कर सकता है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार भारत का सबसे बडा अपीलीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरूऋ अपील सुनने का अधिकार है। उच्चतम न्यायालय में संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, कुछ विशिष्ट मामलो में अपील की जा सकती है।

3. परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा विवाद पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्व का है, उस विवाद के संबंध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँग सकता है। न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निभर करता है।

4. पुनर्विलोकन क्षेत्राधिकार उच्चतम न्यायालय को संसद या विधानमण्डल द्वारा पारित किसी अधिनियम तथा कार्यपालिका द्वारा दिये गये किसी आदेश की वैधानिकता को पुनर्विलोकन करने का अधिकार है।

5. अंतरण का क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय को अंतरण के निम्नलिखित क्षेत्राधिकार प्राप्त है –
   (a) वह उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों को अपने यहाँ अंतरित कर सकता है,
   (b) वह किसी उच्च न्यायालय में लम्बित मामलों को दूसरे राज्य के उच्च न्यायालय में अंतरित कर सकता है।

6. अभिलेख न्यायालय उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्राप्त है। इस न्यायालय के निर्णय सभी जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किये जाते है तथा इन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते है तथा इन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। जो व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश के पद पर रह चुका है, वह भारतीय क्षेत्र में पुनः किसी भी न्यायालय या अन्य किसी भी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता है।

वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 + (1 मुख्य), कुल 34 है।

## मूल अधिकारो का रक्षक (Watchman of Fundamental Rights)

संघीय व्यवस्था का रक्षक होने के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का प्रहरी भी है। संविधान का अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षण हेतु लेख (Writs) जारी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय के साथ–साथ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर "संवैधानिक उपचारों" की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु पांच याचिकाएं जारी कर सकते है –

1. **बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)** – बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है "सशरीर प्रस्तुत करना"। यह रिट उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी उस सरकारी पदाधिकारी अथवा निजी व्यक्ति को उसके द्वारा बन्दी बनाये गये व्यक्ति को न्यायालय में सशरीर उपस्थित करने हेतु आदेश दिया जाता है।

2. **परमादेश (Mandamus)** – परमादेश अर्थ है "हमारा आदेश है"। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक पदाधिकारी को अपने कर्तव्य के निर्वहन हेतु आदेश दिया जाता है।

3. **अधिकार पृच्छा (Quo Warranto)** – अधिकार पृच्छा का अर्थ है "किस आज्ञा पत्र या अधिकार से"। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय द्वारा किसी सार्वजनिक पदाधिकारी से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करने पर यह पूछा जाता है कि उसके द्वारा वह कार्य किस "प्राधिकार" के तहत किया गया।

4. **प्रतिषेध (Prohibition)** – उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में सुनवाई नहीं करने अथवा सुनवाई रोक देने का आदेश दिया जाता है।

5. **उत्प्रेषण (Certiorari)** – का अर्थ है "प्रमाणित करने को"। उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मामले की सुनवाई को रोक कर उसके पास प्रेषित करने का आदेश दिया जाता है।

## उच्चतम न्यायालय के प्रमुख वाद

| वाद | चुनौती का आधार | उच्चतम न्यायालय का निर्णय |
|---|---|---|
| ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) | अबाध स्वतन्त्रता के हनन के (19) आधार पर तथा विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विरूद्ध बंदी बनाए जाने को चुनौती | अनुच्छेद 19 और 21 एक–दूसरे से अलग है।<br>अनुच्छेद 21 को चुनौती, इस आधार पर नहीं दी जा सकती है कि वह 19(5) के तहत निर्बन्धन लगाती है। |
| शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1952) | प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी और कहा कि यह मूल अधिकारो का हनन करता है। | 1. संविधान संशोधन की शक्ति, जिसमें मूल अधिकार भी शामिल है, अनुच्छेद 368 में है।<br>2. विधि का अर्थ सामान्य विधायी प्रक्रिया से पारित कानून है, न कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से। |
| सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965) | 17 वें संविधान संशोधन को चुनौती । | शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के निर्णय की पुनरावृत्ति हुई। |
| गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) | अनुच्छेद 19(1) व 14 के विरूद्ध होने को चुनौती, साथ ही प्रथम, चतुर्थ व 17 वें संविधान संशोधन को भी चुनौती। | निर्णय 5/6 के बहुमत से (यह न्यायालय की दूसरी सबसे बडी पीठ 11 न्यायाधीशों की थी)<br>1. वर्ष 1952 व 1965 के निर्णयों को बदल दिया।<br>2. संसद भाग 3 में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती है जिससे मूल अधिकारो का हनन होता हो<br>3. अनुच्छेद 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। |
| केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य (1973) | भूमि सुधार अधिनियम, 1969 को चुनौती दी तथा कहा कि इस अधिनियम से अनुच्छेद 14, 19(1), 25, 26, 31 का उल्लंघन हुआ। | 13 न्यायाधीशों की सबसे बडी खण्डपीठ)।<br>1. गोलकनाथ वाद के निर्णय को बदल दिया गया।<br>2. अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में 25,26,31 संशोधन किया जा सकता है |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है या समाप्त कर सकती है, परन्तु ऐसा कोई संशोधन नही कर सकती है जिससे मूल ढाँचे में परिवर्तन होता हो।<br>4. उच्चतम न्यायालय को निर्णय का अधिकार मूल ढाँचे का ही भाग है। |
| मेनका गाँधी वाद (1978) | लोकहित में पासपोर्ट निरस्त का मामला तथा अनुच्छेद 14,19(1)(A) और 19(1) (A) (H) तथा 21 का हन के आरोप की चुनौती। | लोकहित की भाषा व्यापक है तथा यह अनुच्छेद 14, 19(1)(A),19(1) H) तथा 21 का हनन नहीं करती है। |
| मिनर्वा मिल बनाम भारत संघ (1980) | मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निदेशक तत्व से सम्बन्धित मामला | निर्णय 4/1 के बहुमत से –<br>1. मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व एक–दूसरे के है।<br>2. अनुच्छेद 31(C) तथा अनुच्छेद 14,19 का हनन करता है संशोधन किया जा सकता है। |

- उच्चतम न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश – हिरालाल जे. कानिया
- उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश – नाथुलापति वेंकट रमन

# राजस्थान का भूगोल

# 6. राजस्थान की खनिज संपदा

**खनिज** – पृथ्वी से खुदाई करके निकाले गये पदार्थ होते है।

## राज्य में खनिज नीतियाँ

- प्रथम खनिज नीति – 1978 भैरोसिंह शेखावत–खनन पर अधिक जोर, खनिजों की खोज पर जोर।
- दूसरी खनिज नीति – 1991
- तीसरी खनिज नीति – 1994
- राज्य में नवीनतम खनिज नीति 4 जून 2015 – वसुन्धरा राजे द्वारा दिल्ली में आयोजित Ambessder Round Table कॉन्फ्रेंस में पेश की।

## इस नीति के उद्देश्य

1. ग्रामीण और दूरदराज के लोगों को रोजगार देना।
2. राज्य की GDP में खनिजों का योगदान बढाना।
3. खानों का आवंटन ऑनलाइन होगा – यह नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।
4. खान स्थानान्तरण Lock in Period Time – 2 वर्ष कर दिया।
5. अवैध खनन करने वाले की सजा 2 वर्ष से बढाकर 5 वर्ष व जुर्माना 25 हजार से बढाकर 5 लाख कर दिया है।

## तथ्य

- राजस्थान की प्रथम मार्बल नीति – अक्टूबर, 1994
- राजस्थान की प्रथम ग्रेनाइट नीति – 1991
- नवीनतम मार्बल नीति/ग्रेनाइट नीति – 2002
- नयी मार्बल व्यापार नीति – 2016
- देश के कुल खनिज उत्पादन का 22% हिस्सा राजस्थान से उत्पादित होता है।
- देश में खनिज भण्डारण की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा स्थान है।
- देश में कुल खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा स्थान है।
- राजस्थान का GDP (सकल घरेलू उत्पादन) में हिस्सा– 5% है।
- राजस्थान खनिजों की ई–नीलामी करने वाला देश का प्रथम राज्य है।
- राजस्थान खनिजों से होने वाली आय की दृष्टि से देश में पाँचवा स्थान रखता है।
- राजस्व के अर्जन में राजस्थान के इस विभाग का देश में 5वां स्थान है।
- अलौह खनिज की दृष्टि से राज्य का देश में प्रथम स्थान है।
- लौह खनिज की दृष्टि से राज्य का देश में चौथा स्थान है।
- राज्य में सर्वाधिक खनिज–जिला–उदयपुर–क्षेत्र–अरावली–पठारी क्षेत्र
- राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहते है।
- सर्वाधिक खनिज विविधता की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है।
- राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों की संभावना सर्वाधिक है।

# खनिज वर्गीकरण

| धात्विक खनिज | अधात्विक खनिज |
|---|---|
| • विद्युत के सुचालक होते है।<br>• विशिष्ट संरचना होती है।<br>• चमकदार होते है।<br>• तन्यता का गुण पाया जाता है।<br>• तोडने पर 2 भागों में टूट जाते है। | • विखण्डन या विभजन का गुण पाया जाता है। और भंगुरता का गुण भी पाया जाता है। |

| धात्विक खनिज | |
|---|---|
| **लौहधात्विक खनिज** | **अलौहधात्विक खनिज** |
| लौह अयस्क, मैंग्नीज | सीसा, जस्ता, सोना, चाँदी, ताँबा, टंगस्टन आदि। |

| अधात्विक खनिज | | | |
|---|---|---|---|
| **ऊर्जा खनिज** | **उर्वरक खनिज–फेल्सपार** | **महंगे खनिज** | **अधात्विक** |
| कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आण्विक खनिज | जिप्सम, पोटाश, रॉक फॉस्फेट, फॉस्फोरस, पाइराइट्स | हीरा, पन्ना, तामड़ा, ग्रेनाइट | नमक, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी, बालुका पत्थर, क्ले अभ्रक |

| राजस्थान में खनिज क्षेत्र | | |
|---|---|---|
| • पश्चिमी राजस्थान<br>• अधात्विक/समुन्द्री खनिज<br>• भारत का लगभग 25% हिस्सा<br>• देश में राजस्थान का प्रथम स्थान<br>• राजस्थान देश का 30% लघु शैली के खनिजों का उत्पादन करता है। | • अरावली + दक्षिणी–पूर्वी पठारी<br>• दोनों क्षेत्र–आग्नेय चट्टानें<br>• धात्विक खनिज<br>• भारत का 15% हिस्सा | • पूर्वी मैदानी भाग<br>• सामान्यतः खनिजों का अभाव है। |

राजस्थान खनन और भू–विज्ञानी विभाग का मुख्यालय उदयपुर में है।

**ऑपन कास्ट खनन** – जहां कम गहराई में खनिज पाये जाते है। राजस्थान देश का सबसे बडा भूमिगत तेल व गैस उत्पादक राज्य बन गया है।

- आर्थिक समीक्षा 2019–20 के अनुसार राजस्थान में कुल 81 प्रकार के खनिज पाये जाते है।
- राजस्थान में उत्पादन योग्य खनिज/आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज – 67%
- राजस्थान में उत्पादित किये जाने वाले खनिज – 57%

राजस्थान में उत्पादन योग्य खनिज – 67%

44% प्रधान (बडे खनिज)

23% अप्रधान (छोटे खनिज)

**प्रधान खनिज (MCR)** – 1960 के खनिज रियासत अधिनियम के तहत आने वाले खनिज है – लोहा, ताँबा, सीसा, जस्ता, सोना, चाँदी – केन्द्र सरकार द्वारा।

**अप्रधान खनिज (MMCR)** – 1986 के खनिज रियासत अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले खनिज है। भवन निर्माण सामग्री

राजस्थान खनिज नीति – 2015 के अनुसार राजस्थान में धातु खनिजों की 10 किस्में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है।

**धात्विक खनिज – सीता लौट में बैठी कोनी।**

सी – सीसा, जस्ता, सोना, चाँदी।
ता – ताँबा
लो – लोहा, लिथियम
ट – टंगस्टन
में – मैग्नीज
बैठी – बैरेलियम
को – कोबाल्ट, केडमियम
नि – निकल

1. **लौह अयस्क** – राजस्थान का देश में स्थान – पाँचवां
   - लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है।
   - मैग्नेटाइट – सबसे अच्छा अयस्क – राजस्थान मे 25% उत्पादन होता है।
   - हेमेटाइट – राजस्थान में सर्वाधिक – 75% – इसे प्राकृतिक अयस्क कहते है। मात्रा – (63–66%)
   - लिमोनाइट
   - सिडेराइट
   - उत्पादन – जयपुर – मोरीजा–बनोला–चौमूं– क्षेत्र
     दौसा – नीमला–साइसेला–लालसोट
     उदयपुर – नाथरा की पाल एवं थूर हुण्डेर
     सीकर – नीम का थाना
     झुंन्झुनू – खेतडी–सिंघाना–डाबला
     भीलवाडा – पुर–बानोडा–बागौर
     बून्दी – इन्द्रगढ़

   **नोट** – हाल ही में भीलवाडा में आज्योडा (हम्मीरगढ) से जीवों का खेडा (मांडलगढ) के 200 कि.मी क्षेत्र में लौह अयस्क के भण्डार मिले है।

   **नोट** – भीलवाडा में लौह अयस्क संयंत्र –
   1. जिन्दल सॉ. लिमिटेड–2011 (प्रथम लौह संयत्र)
   2. जिन्दल ग्रुप
   3. SAIL (Stell Authority of India Limited)
   4. इस्पात निगम लिमिटेड।

   **नोट** – लौह अयस्क सभी उद्योगों का "आधार स्तम्भ" कहलाता है।

## 2. मैग्नीज

अयस्क – ब्रोनाइट, पाइरोलुसाइट, साइलोमैलिन

- **Jack of All Tradess**
- उपयोग – लौह इस्पात को कठोर बनाना – रासायनिक उद्योगों में।
- क्षेत्र – बांसवाडा–लिलवानी, कालाखूट, नरडीया,तिम्मोमोरी क्षेत्र
  राजसमंद – नगेडिया क्षेत्र
  उदयपुर – छोटीसार–बडीसार, सरूपपुर

## 3. ताँबा

- देश में भारत का स्थान – द्वितीय
- अयस्क – कॉपर पाइराइट्स, कॉपर ग्लास, क्यूमाइट
- उपयोग – मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग
  विद्युत उपकरण बनाने में, सोने को कठोर बनाने में।
- उत्पादन
  झुंझुनू – खेतडी, सिंघाना, कॉपर, कोलिहान, चाँदमारी, अकवाली क्षेत्र
  उदयपुर – अंजनी, सलूम्बर, बेदावल की पाल
  राजसंमद – रेलमगरा, माजेरा
  सिरोही – बसन्तगढ
  भीलवाडा – पुर बानेडा
  चूरू – बिदासर
  बीकानेर – काल्हन क्षेत्र
  अलवर – खो–दरीबा
  सीकर – बनों की ढाणी, मीरा का नांगल
- विश्व की सबसे बडी ओपन पिट तांबा खान चिली में है।
- भारत का सबसे बडा ताँबा गलाने का संयंत्र "हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड" खेतडी झुंझुनू में है।
- **स्थापना** – 1967 में अमेरिका की वेस्टर्न नेप इंजीनियरिंग कंपनी के सहयोग से।
- ताँबा खनिज के साथ सहउत्पाद "सल्फ्यूरिक एसिड" का भी उत्पादन होता है जिससे सुपर फास्फेट खाद बनती है।
- गणेश्वर सभ्यता को (सीकर) ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहलाती है।
- प्राचीन काल – ताम्रनगरी – आहड (उदयपुर)
- वर्तमान – ताम्रनगरी – खेतडी (झुन्झुनू)।
  नोट – कॉपर/ताम्रनगर – आहड।
  ताम्रजिला – झुन्झुनू।
- राजस्थान राज्य पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम सन् 1934 में परबतसर गांव कुराडा (नागौर) में ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी।
  नोट – ताँबा अलोह धातु में सबसे प्रमुख धातु है।

## 4. सीसा जस्ता – एकाधिकार वाला खनिज है।

- अयस्क – "गैलेना" प्राप्त होता है।
- सहउत्पाद के रूप में चाँदी प्राप्त होती है।
- उपउत्पाद के रूप में कैडमियम का उत्पादन होता है।
- इसे जुडवां खनिज भी कहते है।

- उत्पादन – उदयपुर – माचिया मगरा, जावर (वर्तमान में सबसे बडी खान है), बरोड मगरा, जांवरमाला
  राजसमंद – राजपुरा दरीबा (30 लाख टन भण्डार मिले है), बेधुमयी
  भीलवाडा – रामपुरा अगुचा (एशिया का सर्वश्रेष्ठ सीसा–जस्ता का उत्पादन होता है), गुलाबपुरा
  सवाईमाधोपुर – चौथ का बरवाडा
  अलवर – गुढा किशोरीदास
  डूंगरपुर – मांडो की पाल
  अजमेर – क्यारगुढा सावर

**संयंत्र**

1. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड – देबारी (उदयपुर) स्थापना – 1965
2. हिन्दुस्तान सुपर जिंक समेल्टर संयंत्र (एशिया का सबसे बडा जस्ता संयंत्र है – ब्रिटेन के सहयोग से – चन्देरिया (चित्तौड़गढ़)
3. भीलवाडा जिंक संयंत्र – भीलवाडा।

**नोट** – सीसे का राजस्थान में एक भी इस्पात संयंत्र नहीं है।

**5. सोना** – सर्वाधिक भण्डार – आनन्दपुरा भुकिया – जगतपुरा भुकिया (बांसवाडा)

- राज्य में सर्वप्रथम सोने का खनन का कार्य Indo Gold Company ने (आस्ट्रेलिया) आनन्दपुरा + जगतपुरा में 105.81 मिलियन टन स्वर्ण की खोज।
- राज्य में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा भी खनन का प्रयास किया।
- राज्य में सोना दोहन कार्य – जगतपुरा "बांसवाडा" में किया जाता है।
- **राज्य में नवीनतम भण्डार** – नायावाली तहसील – बासडी गाँव (दौसा)

अलवर – खेडा मुण्डियावास
सीकर – दोकन
उदयपुर – रामपुर, खेडा
बांसवाडा – तिमारा माता।

**6. चांदी** – एकाधिकार वाला खनिज है।

- यह सीसा–जस्ता के साथ गैलेना अयस्क से प्राप्त होती है।
- यह विद्युत की सर्वश्रेष्ठ सुचालक धातु है।
- अयस्क – अर्जेण्टाइट, एजुराइट
- राजस्थान भारत की 90% चांदी उत्पादित करता है।
- उत्पादन क्षेत्र – उदयपुर– जावर की खाने (जावरमाला की पहाडियां), भीलवाडा – रामपुरा भांगुचा

**संयंत्र** – हिन्दुस्तान सुपर जिंक समेल्टर – चंदेरिया (चित्तौडगढ)

**7. टंगस्टन**

- लोहे के बाद सबसे कठोर धातु है।
- यह भारी एवं उच्च गलनांक वाला खनिज है।
- यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है।
- विद्युत बल्ब में तंतु बनाने में उपयोग होता है।
- अयस्क – वुल्फ्रेमाइट – राजस्थान में इसी अयस्क का उत्पादन होता है।